तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोपाल कंसारा** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353688468462000	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/01/25	अपीलार्थी गोपाल कंसारा निवासी पोस्ट ऑफिस देवगढ़, मदारिया, राजसमंद ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 20.10.2024 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/नियम/कानून/गजट प्रकाशन "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955" के अंतर्गत एक खातेदार कृषक को कृषि प्रयोजनार्थ निजी उपयोग हेतु वृक्ष काटने हेतु अधिकार प्रदान किये, उक्त अधिनियम के कृषक द्वारा निजी कृषि उपयोग हेतु नही काट सकता वृक्षों की सूची जो उन वृक्षों को नही काटेगा एवं अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील में रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर	

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.01.13 14:13:41 IST
Reason: Approved